न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत् (आर.ए.एस)

तारीख दायरा

07 / 07 / 2021

तारीख फैसला

18/01/23

बउनवान

1. शहनाज पुत्री स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ पत्नी श्री मंजूर अली जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा हाल निवासी केसर बाग, पुलिस लाईन, कोटा राज0
2. तकसीन बानो पुत्री स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ पत्नी श्री अरशद अली जाति निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
3. मम्नून पुत्री स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ पत्नी श्री शाहिद जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी तोपखाना, झालावाड, राज0
4. अशरफ जहाँ पुत्री स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ पत्नी श्री सैयदमसरतअली जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवास ब्यावरा, जिला राजगढ म0प्र0

– वादीगण

बनाम

1. अब्दुल सलीम खाँ पुत्र स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. पीर मोहम्मद खाँ पुत्र स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खाँ जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. आसिफ मेहमूद पुत्र रफत मेहमूद(माता का नाम अफसर) जाति मुसलमान निवासी साकेत नगर, पाटन रोड, झालावाड राज0
5. असद मेहमूद पुत्र रफत मेहमूद(माता का नाम अफसर) जाति मुसलमान निवासी साकेत नगर, पाटन रोड, झालावाड राज0
6. नाजनीन पुत्र रफत मेहमूद(माता का नाम अफसर) जाति मुसलमान निवासी साकेत नगर, पाटन रोड, झालावाड राज0
7. शेहला पुत्र रफत मेहमूद(माता का नाम अफसर) जाति मुसलमान निवासी साकेत नगर, पाटन रोड, झालावाड राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 212 आर. टी.एक्ट

निर्णय

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

यह कि प्रार्थीगण ने उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण सम्भावना है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कृषि ग्राम केशोपुरा तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 245/1 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 549 रकबा 0.44है0, खसरा संख्या 562 रकबा 0.76है0, खसरा संख्या 563 रकबा 2.36है0, खसरा संख्या 85 रकबा 0.61है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.34है0, खसरा संख्या 88 रकबा 1.21है0 कुल खसरा 7 कुल रकबा 5.47है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1, 2 के पिता, प्रतिवादी कम 3 के पति तथा प्रतिवादी कम 4–7 की स्व0 माता अफसर के पिता स्व0 अब्दुल नबी खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान सा0 देह0 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

3. यह कि अब्दुल नबी खाँ पुत्र अहमद खाँ जाति मुसलमान सा0 देह0 का देहावसान हो चुका है तथा वादीगण स्व0 अब्दुल नबी खाँ जी की उत्तराधिकारीगण होने से उनके देहावसान के उपरान्त विवादित भूमि में उनके स्थान पर समभाग से खातेदारी में अंकित करवाने की विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1, 2, 3 द्वारा अब्दुल नबी खाँ जी के देहावसान के उपरान्त वादीगण तथा प्रतिवादी कम 4–7 की स्व0 माता अफसर के हिस्से की विवादित भूमि को हडपने के दुराशय से राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर पूर्णतया अवैध एवं आधारहीन आधार पर विवादित भूमि पर स्वयं के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 15/05/2000 स्वीकृत करवा लिया। जबकि वादीगण, अब्दुल नबी खाँ जी के देहावसान के बाद विवादित भूमि के 1/7–1/7 हिस्सा भूमि कुल 4/7 हिस्सा भूमि की विधिक अधिकारी है। अतः वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रतिवादी कम 1–3 के पक्ष में विवादित भूमि बाबत कोई अधिकार व्युत्पन्न नहीं होते हैं तथा नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 15/05/2000 से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी कम 1–3 के नाम का अंकन प्रारम्भतः शून्य, व्यर्थ एवं वादीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर है।

4. यह कि राजस्व कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अवैध एवं आधारहीन आधार पर, मनमाने तरीके से वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, अब्दुल नबी खाँ जी के खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 1–3 के खाते दर्ज दे। जबकि वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्मानीय न्यायालय की सहायता से, अब्दुल नबी खाँ जी के खाते की भूमि पर स्वयं की खातेदारी की घोषणा करवाए। वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी कम 1–3 की

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

खातेदारी में अंकित होने से अप्रार्थी कम 1–3 विवादित भूमि को अन्यत्र व्ययनिन कर खुर्द-बुर्द करने पर अमादा है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को यह विधिक अधिकार है कि वह मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि पर अप्रार्थी कम 1–4 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि वे विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रमित आदि कर खुर्द–बुर्द नहीं करें।

5. यह कि अप्रार्थी कम 4–7, अब्दुल नबी खाँ जी की मृत पुत्री अफसर के नैसर्गिक उत्तराधिकारी होने के कारण हितबद्ध होने से अप्रार्थी के रूप में संयोजित किए गए हैं।

6. यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन स्वयं सिद्ध है, क्योंकि प्रार्थीगण स्व0 अब्दुल नबी खाँ जी की विधिक वारिस होने से उक्त भूमि के निहित अंश की विधिक अधिकारी है। यदि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीकम 1–3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की गई तो अप्रार्थी कम 1–3 राजस्व अभिलेख में हो रहे अंकन का अनुचित लाभ उठाते हुए विवादित भूमि को हस्तानान्तरित करने में सफल हो जाएंगे जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन संभव नहीं होगा। इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीकम 1–3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किया जाना आवश्यक है कि वह विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तानान्तरित भारग्रस्त नहीं करें।

जवाब पेश

अप्रार्थी कमांक 1, 2, व 4, 5, 6, 7 व 9, 10 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 1 में दिया गया विवरण अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत माननीय न्यायालय को वास्तविक तथ्यों का छुपाते हुए लगभग 20–21 वर्ष बाद वाद पेश किया है जिसमें वर्णित आधार व मांगा गया अनुतोष विधि द्वारा वर्जित होने से सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 2 के कथन व विवरण अस्वीकार है जो पूर्णतया राजस्व रिकॉर्ड व पत्रावली पर पेश दस्तावेज से पूर्णतः विपरीत व विरोधाभासी है। प्रार्थीगण द्वारा इस पैरा में आराजी प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम 1, 2 के पिता, स्व0 हमीदा (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) के पति तथा अप्रार्थी कमांक 4–7 की माता अफसर के पिता स्व0 अब्दुल नबी खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान सा0 देह0 की खातेदारी में

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

दर्ज होना अंकित किया है जो गलत तथ्य अंकित होने व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में उक्त आराजी मात्र अप्रार्थी कमांक 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां की खातेदारी में दर्ज है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 2 के कथन व विवरण अस्वीकार है। अब्दुल नबी खां का देहावसान दिनांक 05/02/2000 को ही चुका है जिसके 21 वर्ष बाद प्रार्थीगण ने दुराशय पूर्वक असत्य व अपूर्ण तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से समभाग से खातेदारी अंकित करवाने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी कमांक 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां ने किसी प्रकार से आधारहीन आधार पर नामान्तरण स्वीकृत नहीं करवाया, बल्कि जो भी हुआ वह सबकी सहमति व जानकारी से हुआ जिसका विस्तृत विवरण विशेष कथन में किया गया है। प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र मुस्लिम शरीयत के खिलाफ होने से खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 15/05/2000 विधिवत खोला गया जिसके आधार पर व्युत्पन्न अधिकार अप्रार्थीगण को आराजी पर पूर्ण स्वामित्व व खातेदारी अधिकार प्रदान करते हैं जो किसी प्रकार से शून्य, व्यर्थ व बेअसर नहीं है, बल्कि जिससे प्रार्थीगण बाध्य है। प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विधि द्वारा वर्जित वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को तथाकथित नामान्तरण की अपील पेश करनी चाहिए थी जिसके अभाव में रेवेन्यू वाद विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार अनुचित प्रकिया अपनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के खिलाफ न्यायालय को गुमराह कर स्थगन प्राप्त करना पूर्णतः न्यायिक प्रकिया का स्पष्ट दुरूपयोग है जिसे हर हालत में बढावा नहीं मिलना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नामान्तरण की अपील पेश नहीं की क्योंकि नामान्तरण को 21 वर्ष बीत चुके हैं तथा उन्हें वहां सफलता मिलने की कोई सम्भावनाएं नहीं थी इसलिए अनुचित प्रकिया अपनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के खिलाफ न्यायालय को गुमराह कर स्थगन प्राप्त किया गया है ताकि खातेदारों पर दबाव बना कर दुराशय–पूर्वक उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

4. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 4 के कथन व विवरण अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाना गलत है जो भी कार्यवाही

अंजना सहाय
उपखण्ड अधिकारी इटावा

की गई है वह सबकी सहमति व जानकारी से हुआ जिसका विस्तृत विवरण विशेष कथन में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पैरा 2 में आराजी सभी पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज होना अंकित है जबकि इस पैरा में आराजी अप्रार्थी क्रमांक 1 लगायत 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां के नाम दर्ज होने के कथन है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में महत्वूपर्ण व आवश्यक तथ्यों के गलत अंकन करने से प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह कर तथ्यों को छुपाकर वाद व प्रार्थनापत्र पेश व दर्ज करवा कर पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है जो माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 5 के कथन व विवरण अस्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 6 के कथन व विवरण अस्वीकार है। आराजी अब्दुल नबी खां का देहावसान 21 वर्ष पूर्व दिनांक 05/02/2000 को ही हो चुका है जिसके बाद नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 15/05/2000 विधिवत खोला गया जिसके आधार पर अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी क्रमांक 3) पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां आराजी पर 21 वर्ष से वर्तमान तक खातेदार काश्तकार होकर आराजी पर हर खासों आम की जानकारी में बइल्म प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण निरन्तर व निर्विरोध रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजी के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां है। राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नवी खां के पक्ष में तस्दीक नामान्तरण की प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। नामान्तरण निरस्त नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को नामान्तरण के 21 वर्ष बाद अनुचित तरीके से विधि द्वारा वर्जित वाद व तद्आधारित प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं जिसमें तथ्यों को छुपाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है पूर्णतः मात्र कपोल कल्पित होकर किसी प्रकार से साक्ष्य व दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है। आराजी पिछले 21 वर्षों से अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां के कब्जा काश्त में होकर उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है जिसे वर्तमान तक उन्होंने हस्तान्तरित नहीं की फिर अब प्रार्थीगण का यह कथन कि वे उनके नाम खातेदारी में होने का लाभ उठाते हुए आराजी हस्तान्तरित करेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति कारित होगी पूर्णतः

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

अप्रासंगिक, अप्राकृतिक व निराधार है। जब आराजी प्रार्थीगण के नाम ही नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार की अपरिमित हानि होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थीगण ने दुराशय–पूर्वक असत्य व अपूर्ण तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा 7 में किया गया कथन व विवरण अस्वीकार है। मूल वादपत्र व उस पर आधारित हस्तगत प्रार्थनापत्र परिसीमा अधिनियम के तहत अवधि बाधित है तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों, काश्तकारी अधिनियम व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधि द्वारा वर्जित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 उपधारा 3 में परिभाषित के अनुसार प्रार्थीगण काश्तकार नहीं है ना ही कृषि सम्बन्धित कोई विवाद है, बल्कि मुस्लिम शरीयत का सिविल अधिकार सम्बन्धी विवाद है जो केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। इस प्रकार मामला राजस्व नेचर का ना होकर सिविल न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। इस प्रकार मामला राजस्व नेचर का ना होकर सिविल नेचर का है जिस पर मात्र माननीय सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। इस कारण माननीय रेवेन्यू न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र असत्य व निराधार होकर विधि द्वारा वर्जित है जो सम्पूर्ण अस्वीकार है, चाहा गया अनुतोष गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

–: विशेष कथन :–

1. यह कि आराजी के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां है। राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां के पक्ष में है। अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां के पक्ष में तस्दीक नामान्तरण की प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। नामान्तरण निरस्त नहीं किया गया

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

है। प्रार्थीगण को नामान्तरण के 21 वर्ष बाद अनुचित तरीके से विधि द्वारा वर्जित वाद व तद्आधारित प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं जिसमें तथ्यों को छुपाया गया है।

2. यह कि पूर्व में प्रकरण में अप्रार्थी कमांक 3 के रूप में संयोजित स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां द्वारा भी अपना जवाब पेश किया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट अंकित किया था कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी कमांक 3 के पति स्व0 अब्दुल नबी खां तथा अप्रार्थी कमांक 3 द्वारा समयानुसार प्रार्थीगण का निकाह कर दिया है जिनको विवाह के समय ही दान–दहेज व अन्य नगद, रकम व जेवरात के रूप में जो देना था वह दे दिया था। अप्रार्थी कमांक 3 के पति के स्व0 अब्दुल नबी खां तथा अप्रार्थी कमांक 3 व प्रार्थीगण व स्व0 अफसर जहां के सभी पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक उत्तरदायित्व अप्रार्थी कमांक 1 व 2 अब्दुल सलीम व पीर मोहम्मद ने ही निभाये। अप्रार्थी कमांक 3 के पति स्व0 श्री अब्दुल नबी खां का भी देहान्त 05/02/2000 को हो गया जिनकी भी जीवन पर्यन्त सेवा सुश्रुषा व देखभाल भी अप्रार्थी कमांक 1 व 2 ने ही की।

3. यह कि पूर्व में प्रकरण में अप्रार्थी कमांक 3 के रूप में संयोजित स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां द्वारा अपने जीवन काल में ही अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत पुत्रों अप्रार्थी कमांक 1 व 2 पीर मोहम्मद व अब्दुल सलीम के नाम कर दी थी जिसकी प्रति संलग्न है।

4. यह कि प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत माननीय न्यायालय को वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए लगभग 20–21 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है तथा उस पर आधारित हस्तगत प्रार्थना पत्र भी खारिज होने योग्य है।

5. यह कि वर्तमान में उक्त आराजी मात्र अप्रार्थी कमांक 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां की खातेदारी में दर्ज है। अब्दुल नबी खां का देहावसान दिनांक 05/02/2000 को ही हो चुका है जिसके 21 वर्ष बाद प्रार्थीगण ने दुराशय पूर्वक असत्य व अपूर्ण तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

6. यह कि वैकल्पिक रूप से कथन है कि प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थनापत्र मुस्लिम शरीयत के खिलाफ होने से खारिज किये जाने योग्य है। शरीयत अधिनियम के मुताबिक मुस्लिम अपने पर्सनल मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं जिसके मुताबिक आनुपातिक रूप से निर्वसीयती मुस्लिम व्यक्ति की सम्पति में उसकी पत्नी का

अपर्णा सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

1/8 हिस्सा तथा शेष हिस्से में आनुपातिक रूप से (ना कि व्यक्तिगत रूप से) शेष वारिसान में पुरूष वर्ग को महिला वर्ग का दो गुणा हिस्सा प्राप्त होता है जबकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में समभाग हिस्से पर अधिकारी होने की घोषणा के साथ समभाग से खातेदारी में अंकित करवाने के कथन अंकित कर इसी प्रकार के अनुतोष की मांग की है जो विधि विरूद्ध होने से प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है जो निराधार होकर खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि नामान्तरण संख्या 155 दिनांक 15/05/2000 विधिवत खोला गया जिसके विषय में वास्तविक तथ्य यह है कि व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) पत्नी के पति स्व0 अब्दुल नबी खां तथा व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) पत्नी स्व0 श्री अब्दुल नबी खां द्वारा समयानुसार प्रार्थीगण का निकाह कर दिया है जिनको विवाह के समय ही दान–दहेज व अन्य नगद, रकम व जेवरात के रूप में जो देना था वह दे दिया था। स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) के पति स्व0 अब्दुल नबी खां तथा स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) के पति स्व0 अब्दुल नबी खां तथा स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) व प्रार्थीगण व स्व0 अफसर जहां के सभी पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक उत्तरदायित्व अप्रार्थी कमांक 1 व 2 अब्दुल सलीम व पीर मोहम्मद ने ही निभाये। स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) के पति स्व0 श्री अब्दुल नबी खां का भी देहान्त दिनांक 05/02/2000 को हो गया जिनकी भी जीवन पर्यन्त सेवा सुश्रुषा व देखभाल भी अप्रार्थी कमांक 1 व 2 ने ही की। स्व0 श्री अब्दुल नबी खां के देहान्त के उपरान्त स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) व सभी पुत्रियों प्रार्थीगण व स्व0 अफसर जहां ने उक्त आराजी के संबंध में वारिसान के रूप में प्राप्त होने वाले हक हिस्से व वारिसान के रूप में प्राप्त हो चुके व प्राप्त होने वाले अन्य समस्त चल अचल सम्पत्ति के हक अधिकारों को स्वेच्छा व सहमति से अप्रार्थी कमांक 1 व 2 के पक्ष में मौखिक हिबा/दान कर कब्जा काश्त आराजी मौके पर सम्भाल दिया था परंतु अप्रार्थी कमांक 1 व 2 की इच्छा से उक्त आराजी के इन्तकाल में अप्रार्थी कमांक 1 व 2 के साथ स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) नाम भी रखा गया था जब से पिछले 21 वर्षों से उक्त आराजी व समस्त अन्य चल अचल सम्पत्ति पर अप्रार्थीगण 1, 2 व स्व0 हमीदा बेगम (मृतक अप्रार्थी कमांक 3) आराजी पर 21 वर्ष से वर्तमान तक खातेदार काश्तकार होकर हर खासों आम की

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

जानकारी में बइल्म प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण निरन्तर व निर्विरोध रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं।

8. यह कि कुछ समय पूर्व प्रार्थीगण का अप्रार्थी कमांक 1 व 2 पारिवारिक छोटी–मोटी बात पर सामान्य विवाद हो गया जिसको लेकर प्रार्थीगण ने वहम पाल लिया और अकारण घर में कलह शुरू कर दिया व इसी कारण से जमीन जायदाद में हिस्सा मांगना व परेशान करना शुरू कर दिया और हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

9. यह कि प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विधि द्वारा वर्जित वाद व प्रार्थनापत्र पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को तथाकथित नामान्तरण की अपील पेश करनी चाहिए थी जिसके अभाव में रेवेन्यू वाद विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार 21 वर्ष वाद अनुचित प्रकिया अपनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के खिलाफ न्यायालय को गुमराह कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना पूर्णतः न्यायिक प्रकिया का स्पष्ट दुरूपयोग है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर नामान्तरण की अपील पेश नहीं की क्योंकि नामान्तरण को 21 वर्ष बीत चुके हैं तथा उन्हें वहां सफलता मिलने की कोई सम्भावनाएं नहीं थी इसलिए अनुचित प्रकिया अपनाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों पर दबाव बना कर दुराशय पूर्वक उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

10. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 14 मार्च 1955 को प्राप्त हुई तथा इस संबंध में राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 के दिनांक 23/03/1955 पृष्ठ संख्या 347–437 पर प्रकाशित हुआ जिसमें अंकित किया गया है कि "कृषकों के हितों एवं अधिकारों को यही विधि सुनिश्चित करती है" इसके अतिरिक्त अधिनियम में "आमुख" में स्पष्ट अंकित है कि कृषि भूमियों की अभिधृतियों से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करने और भूमि की उन्नति के कुछेक उपायों व तत्संबंधी मामलों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम "इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम का उद्देश्य कृषि संबंधी समस्याओं का निस्तारण करना है यथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जो खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हो उनके मध्य भूमि संबंधी, उनके मध्य बंटवारे से संबंधित लगान सुनिश्चित करने संबंधित, कृषि भूमि से संबंधित सुधार व उन्नति संबंधित इत्यादि से संबंधित मामले काश्तकारी अधिनियम के तहत रेवेन्यू न्यायालय द्वारा निपटाये जायेंगे जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 उपधारा 3 में परिभाषित

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

के अनुसार प्रार्थीगण काश्तकार नहीं है ना ही कृषि संबंधित कोई विवाद है बल्कि सिविल अधिकार संबंधी विवाद है जो केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनो में कहा कि प्रार्थीगण अब्दुल नबी खाँ की जाईन्दा पुत्री होने के कारण एवं अब्दुल नबी खाँ को प्राप्त सम्पत्ति पैतृक होने के कारण उस पर बराबर का हक रखती है। मुस्लिम शरीयत विधि कृषि भूमियों पर लागू नहीं होती है। इसके समर्थन में उन्होंने मुस्लिम स्वयीय विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 की प्रति पेश की जिसके अनुसार **2. मुसलमानों को स्वीय विधि का लागू होना– निर्वसीयत उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति, जिसमें विरासत में मिली या संविदा या दान स्वीय विधि के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन प्राप्त हुई स्वीय संपत्ति आती है, विवाह, विवाह–विघटन, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला तथा मुबारात आते हैं, भरण–पोषण, मेहर, संरक्षता, दान, न्यास तथा न्याय–सम्पत्ति और वक्फ (जो पूर्त तथा पूर्त संस्थाओं तथा पूर्त धार्मिक विन्यासों से भिन्न हो) से संबंधित (कृषि भूमि से संबद्ध प्रश्नों के सिवाय) सभी प्रश्नों में तत्प्रतिकूल किसी रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां पक्षकार मुसलमान है वहां विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) होगा।** अधि0 प्रार्थीगण ने कहा कि उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार मृतक पिता अब्दुल नबी खाँ की पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। मृतक के 5 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हैं अतः प्रार्थीगण 1/7–1/7 हिस्सें की हकदार हैं। प्रार्थीगण संख्या ने 2 व 3 अप्रार्थीगण से साज–बाज होकर अपना नाम डिलीट करवा लिया है उसने प्रार्थी सं0 1 व 4 के हक–हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि स्थगन आदेश ताफैसला प्रसारित नहीं किए जाते हैं तो अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी क्रम 1 व 4 के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अधि0 अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विरासत हमेशा पर्सनल लॉ से वारिसान को जाती है। प्रकरण में पक्षकार मुस्लिम हैं। अतः इन पर मुस्लिम लॉ ही लागू होगा। प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 के हक में अपने अधिकारों को मौखिक हिबा कर चुकी हैं एवं मौके पर कब्जा की संभला चुकी हैं, जिसके प्रमाण

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

अंकित नहीं किया है कि वे किस विधि से शासित होते हैं एवं उन्हें किस विधि के अनुसार हक चाहिए। दावे का यह मूलभूत अंग होता है कि वादी को यह बताना पड़ता है कि वे किस विधि से शासित होते हैं एवं उनके अधिकार किस विधि के अन्तर्गत सृजित होते हैं। राज0 काश्तकारी अधि0 के अनुसार विरासत पसर्नल लॉ से ही जाती है एवं मुस्लिम लॉ के अनुसार एक बार हिबा कर दी गई सम्पत्ति पर अब प्रार्थीगणों का कोई हक–हकूक नहीं रह गया है।

मैने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं तर्कों पर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र आर0 टी0 एक्ट 212 में तीन घटकों को ध्यान में रखकर निर्णय करना है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति।

1. <u>प्रथम दृष्टया केस</u> – प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मृतक अब्दुल नबी खाँ की पैतृक आराजी पर 1/7–1/7 की हकदार हैं, परंतु यह 1/7 हिस्सा किस विधि से शासित होकर आया है यह कहीं भी प्रकट नहीं किया है। प्रार्थीगण मुस्लिम होने के नाते हिन्दू विधि से शासित नहीं हो सकते। यदि मौखिक हिबा को नहीं भी मानती हैं तो भी प्रत्येक बहन का हिस्सा 7/120 से अधिक नहीं बनता हैं। परंतु वाद एवं प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कम 2 व 3 ने दिनांक 02/09/2021 को ही अपनी हद तक वादी/प्रार्थी हैसियत से अपना नाम डिलीट कराने के प्रार्थना पत्र के साथ यह कथन भी किया है कि उनके सामने ही उन्होंने एवं प्रार्थी सं0 1 व 4 तथा अप्रार्थी कम 3 तथा अप्रार्थी कम 4 लगायत 7 की माता एवं उनकी बहन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना–अपना हिस्सा अपने भाईयों अप्रार्थी कम 1 व 2 के पक्ष में हिबा कर दिया था एवं तभी से अप्रार्थी कम 1 व 2 का ही उक्त विवादित आराजी पर कब्जा है।
   मुस्लिम लॉ के अनुसार हिबा लिखित अथवा मौखिक कैसी भी हो सकती है, हिबा का मुख्य घटक ट्रांसफर ऑफ पजेशन होता है, प्रकरण में विवादित आराजी पर पजेशन अप्रार्थी कम 1 व 2 का है जिसे प्रार्थी कम 2, 3 एवं समस्त अप्रार्थीगणों ने स्वीकार दिया है। प्रार्थीकम 1 व 4 ने मौखिक हिबा किया था या नहीं यह साक्ष्यों के द्वारा मूल वाद में तय होना है, परंतु प्रथम दृष्टया मौखिक हिबा होना प्रमाणित है अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन</u> – अप्रार्थीगण विगत 20 वर्षों से विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा कब्जा भी उन्हीं के पास है ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा

अंजना सहराव
उपखण्ड अधिकारी इटावा

जारी की जाती है तो मौके पर लड़ाई–झगड़ा होने एवं सुविधा संतुलन विगड़ने की संभावना है। अतः सुविधा संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति – चूंकि मौके पर कब्जा पिछले 20 सालों से प्रथम दृष्टया अप्रार्थी 1 व 2 का ही प्रमाणित है एवं रिकॉर्ड में भी अप्रार्थीगण 1 व 2 ही खातेदार हैं। अतः प्रकरण में अपूरणीय क्षति अप्रार्थीकम 1 व 2 को ही कारित होने की संभावना है।

प्रार्थीगण 1 व 4 ने मौखिक हिबा की थी या नहीं यह मैटर ऑफ ऐविडेंस है जो मूल दावे में तय होगा। जबकि अभी तक पेश जवावदावे, प्रार्थी कम 2 व 3 के वाद व प्रार्थना पत्र से डिलीट किये जाने के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीकम 3 लगायत 7 के जवाबदावे तथा शपथपत्रों से मौखिक हिबा प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। कब्जा भी अप्रार्थी कम 1 व 2 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। इसलिए मैं प्रकरण में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझती हूँ एवं प्रार्थना 212 आर0टी0एक्ट निरस्त कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा